

न्यायालय—सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

आप. प्रक. क्र.—332 / 2015

संस्थित दिनांक—13.05.2015

फाईलिंग क्र.234503003952015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन// विरुद्ध //

धूपसिंह पिता कंचू तेकाम, उम्र—60 वर्ष, जाति बैगा,

निवासी—ग्राम जत्ता, बैगा टोला, थाना बैहर,

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपी// निर्णय //

(आज दिनांक—09 / 10 / 2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—20.04.2015 को 08:00 बजे, थाना बैहर अंतर्गत ग्राम जत्ता, बैगाटोला में खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुए आहत देवीलाल को लोहे की फरसी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—20.04.2015 को फरियादी देवीलाल अपनी पत्नी पुसवन के साथ ईटा बनाकर आया और अपने घर में बैठा था, तभी रात्रि 8:00 बजे उसका पिताजी आरोपी धूपसिंह शराब पीकर उसके पास आया और बोलो कि उसे बिना बताए बहु को लेकर ईटा काटने गया था, कहकर हाथ में रखी लोहे की फरसी उठाकर उसके पेट, कमर के पास बाएं तरफ मार दिया। उसकी पत्नी पुसवन और अम्मा फुसलो बाई ने बीच—बचाव किया। उक्त घटना को पंच मंगलू ने भी देखा व सुना है। फरियादी/आहत देवीलाल द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना बैहर में दर्ज करायी गई। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक—37 / 2015 अंतर्गत धारा—324 भा.दं.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया गया, गवाहों के कथन

लेखबद्ध किया गया तथा आरोपी से घटना में प्रयुक्त लोहे की फरसी जप्त किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत धूपसिंह ने आरोपी से राजीनामा कर आवेदन पेश किया, किन्तु अपराध अशमनीय होने से राजीनामा आवेदन अस्वीकार किया गया। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-20.04.2015 को 08:00 बजे, थाना बैहर अंतर्गत ग्राम जत्ता, बैगाटोला में खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुए आहत देवीलाल को लोहे की फरसी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5— फरियादी/आहत देवीलाल (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आरोपी उसका पिता है। घटना लगभग दो माह पुरानी शाम के समय की है। आरोपी ने विवाद होने पर धक्का दे दिया था, जिससे वह आंगन में गिर गया था तथा उसे आंगन में रखे पत्थर से चोट आई थी। उसने घटना की रिपोर्ट थाना बैहर में की थी। पुलिस ने उसकी चोट का मुलाहिजा करवाया था तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 लेखबद्ध किया था। पुलिस ने पूछताछ कर घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 उसकी निशानदेही पर तैयार किया था और उसके बयान लिये थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने घटना के समय उसे लोहे की फरसी से मार दिया था। साक्षी ने उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 और पुलिस कथन प्रदर्श पी-3 में लोहे की फरसी से मारने वाली बात बताए जाने से इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने स्वयं फरियादी व आहत होते हुए भी आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

6— अभियोजन ने मात्र फरियादी/आहत धूपसिंह (अ.सा.1) की साक्ष्य करायी गई है, इसके अलावा अभियोजन की ओर से किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी या महत्वपूर्ण

साक्षी की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। एकमात्र महत्वपूर्ण साक्षी आहत धूपसिंह (अ.सा. 1) ने स्वयं आहत होते हुये भी आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। ऐसी दशा में साक्ष्य के अभाव में आरोपी के विरुद्ध कथित लोहे की फरसी से आहत धूपसिंह को स्वेच्छया उपहति कारित करने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

7— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि कथित घटना दिनांक व स्थान में आरोपी ने फरियादी/आहत धूपसिंह को खतरनाक साधन के रूप में लोहे की फरसी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया। अतएव आरोपी को धारा-324 भा.द.वि. के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

8— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

9— प्रकरण में जप्तशुदा लोहे की एक फरसी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट